

11.2.19

प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को पक्षकारा बनाये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि प्रार्थी अप्रार्थी के पड़ौसी खातेदार है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 8/2018 में पारित अपीलाधीन दिनांक 22.5.2018 की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिससे पाया गया कि प्रथम दृष्टिया सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में प्रतीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 8/2018 में पारित अपीलाधीन दिनांक 22.5.2018 की पालना व प्रभाव को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। उक्त अनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर, निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

11.2.19  
(ललित कुमार गुप्ता)  
डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

जोधपुर